संख्या-19/2024/आई/743706/तेइस-7-2024-23-7099(099)/46/2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2024

विषय: स्व0 ललित चन्द्र पन्त (सेवानिवृत्त) प्रशासनिक अधिकारी (मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ के स्वयं की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-1249 सी0जेड0काम/8सी0जेड0ई0/2010, दिनांक 18.04.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 ललित चन्द्र पन्त (सेवानिवृत्त) प्रशासनिक अधिकारी (मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ के एस0एस0एम0 हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ में दिनांक 06.05.2023 से 26.06.2023 तक कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि रू0 10,80,599/- (रूपये दस लाख अस्सी हजार पांच सौ निन्यानवे मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 10,02,449/- (रूपये दास लाख दो हजार चार सौ उन्चास मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त चिकित्सा दावे से संबंधित बिल बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान प्रथम बार ही किया जा रहा है एवं भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-01-सिविल-800 अन्य-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-अन्य व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-19/2024/आई/743706(1)/तेइस-7-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- नोड अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 18.04.2024 के संदर्भ में।

6- श्री सुधान्शु पन्त पुत्र स्व0 ललित चन्द्र पन्त, से0नि0, प्रशासनिक अधिकारी, निवासी-डी-5/169, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।